

## राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, राजस्थान, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या एवं अपीलार्थी का नाम	प्रत्यर्थागण का नाम	प्रस्तुतिकरण की दिनांक	उपस्थित अभिभाषक का नाम
1	2	3	4	5
1.	1987/2022 कृष्ण लाल धावरिया	1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान, शासन सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।	16.06.2022	श्री बीबीएल शर्मा (अपीलार्थी की ओर से) तथा श्री गौरव सिंह (प्रत्यर्था विभाग की ओर से)
2.	1988/2022 गोपाल सिंह	3. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा और शिक्षा परिषद्, डॉ एस राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, जेएलएन मार्ग, जयपुर। 4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा अभियान, अलवर।	13.06.2022	

आदेश की दिनांक : 18.11.2022

समक्ष :- मातादीन शर्मा, सदस्य  
एम. एस. काला, सदस्य

### आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम-1976 की धारा-4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

उपरोक्त अपीलों में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपीलों में चुनौती का आधार एवं तथ्यात्मक स्थिति समान होने से, न्यायहित में अपील संख्या 1987/2022 कृष्ण लाल धावरिया की अपील को अग्रग अपील मानकर उसके तथ्य लेते हुए, उक्त शीर्षक टेबिल में अंकित अपील को एक ही आदेश से निस्तारित किया जा रहा है।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील के आधारों को दोहराते हुए तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में सहायक निदेशक के पद पर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा अभियान, अलवर में कार्यरत है। प्रत्यर्था विभाग के आदेश दिनांक 11.05.2022 (अनुलग्नक-1) के द्वारा समग्र शिक्षा के राज्य जिला एवं ब्लॉक कार्यालयों में विभिन्न पदों हेतु ऑनलाईन इन्टरव्यू विज्ञप्ति जारी की गई। प्रत्यर्था विभाग के आदेश दिनांक 05.10.2018 (अनुलग्नक-2) के द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बेरावास, नागौर से मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा अभियान, अलवर लगाया गया। अपीलार्थी की जन्म तिथि 04.09.1963 है। अपीलार्थी अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर दिनांक 30.09.2023 को सेवानिवृत्त हो रहा है। प्रत्यर्था विभाग के पत्र दिनांक 21.09.2019 (अनुलग्नक-4) द्वारा समग्र शिक्षा अभियान में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत रहने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति से पहले उन्हें मूल विभाग हेतु कार्यमक्त नहीं किया जावे तथा संबंधित

मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन बीआरसीएफ समग्र शिक्षा अभियान, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान कार्यालय द्वारा ही उनके पेंशन प्रकरण हस्ताक्षर करके संबंधित पेंशन विभाग को भिजवाये जावे। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा साक्षात्कार लिये जाकर कार्मिक को अपीलार्थी के पद के विरुद्ध चयन कर लिया गया, जिसे माननीय न्यायालय में चुनौती दी गई है। किसी भी कार्मिक को प्रतिनियुक्ति पर 4 वर्ष के लिए राजस्थान सेवा नियमों के नियम 144 क में रखे जाने का प्रावधान है (अनुलग्नक-5)। अपीलार्थी एक वर्ष पश्चात् ही सेवानिवृत्त हो रहा है। इस सम्बन्ध में अपीलार्थी ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डॉ. पुष्पा मेहता बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान का उद्धरण दिया है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने सेवानिवृत्ति में दो वर्ष से कम समय रह जाने पर स्थानान्तरण को अनुचित एवं विधि विरुद्ध माना है। अतः उक्त आधार पर अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 11.05.2022 (अनुलग्नक-1) को अपास्त किया जावे तथा अपीलार्थी को सहायक निदेशक के पद पर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा अभियान, अलवर में कार्य करने दिया जावे तथा वेतन एवं समस्त पारिणामिक लाभ दिए जावे।

माननीय अधिकरण द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 11.05.202 पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में दायर एकल पीठ याचिका संख्या 7530/2022 में दिनांक 26.05.2022 को आगामी आदेश तक स्थगित किए जाने के आधार पर अधिकरण द्वारा आदेश दिनांक 21.07.2022 से अंतरिम स्थगन आदेश पारित किया गया था। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एकल पीठ द्वारा उक्त याचिका में अंतिम रूप से एकल पीठ द्वारा दिनांक 03.08.2022 एवं खण्डपीठ द्वारा डीबी स्पेशल अपील रिट संख्या 770/2022 में दिनांक 06.09.2022 को अंतिम रूप से निर्णय करते हुए अपने स्थगन आदेश दिनांक 26.05.2022 को खारिज कर अपीलार्थीगण के विरुद्ध निर्णय पारित किया गया है। इसी संदर्भ में प्रत्यर्थी विभाग की ओर से दिनांक 04.10.2022 को माननीय अधिकरण द्वारा एक पक्षीय अंतरिम स्थगन आदेश को निरस्त करवाने के लिए प्रार्थना-पत्र दायर किया गया है।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत किया कि राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम-144'क' के अंतर्गत एक वर्ष के लिए प्रतिनियुक्ति पर लगाया गया था। राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम-144'क' के संबंध में जारी परिपत्र क्रमांक पं.1 (3) वित्त/नियम/2005 पार्ट 1 दिनांक 17.05.2021 के बिन्दु संख्या-2 के अनुसार प्रथमतः प्रतिनियुक्ति अवधि एक वर्ष के लिए होगी, किन्तु प्रशासनिक विभाग के द्वारा लोक हित में प्रतिनियुक्ति अवधि को तीन वर्ष तक

बढाया जा सकता है। अपीलार्थी को अनिश्चित कालीन तक प्रतिनियुक्ति पर रहने का अधिकार नहीं है। अपीलार्थी को वर्तमान पद पर कार्य करते हुए 4 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है और प्रत्यर्थी विभाग द्वारा इस अवधि को नहीं बढाया गया है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नीतिगत निर्णय लिया गया है कि प्रतिनियुक्ति के 4 पदों पर कार्यरत कार्मिकों को पैतृक विभाग में भेजा जाये। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावे।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए स्थगन आदेश के निर्णय के दौरान जो बहस की उसी की मात्र पुनरावृत्ति की और अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

हमने अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् अधिवक्ता को अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

हमारे विनम्र में अपीलार्थी को आदेश दिनांक 22.10.2018 (अनुलग्नक-2) के अनुसार प्रतिनियुक्ति पर वर्तमान स्थान मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा अभियान, अलवर के कार्यालय में कार्य करते हुए 4 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है और राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम -144'क' के संबंध में जारी परिपत्र क्रमांक पं.1 (3) वित्त/नियम/2005 पार्ट 1 दिनांक 17.05.2021 के बिन्दु संख्या-2 के अनुसार निर्धारित अधिकतम सीमा चार वर्ष की सीमा भी पार हो चुकी है। साथ ही माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर द्वारा डीबी स्पेशल अपील रिट संख्या 770/2022 में निर्णय दिनांक 06.09.2022 में यह स्थापित किया है कि:-

*"A person working on deputation doesn't acquire an indefeasible right to continue working on deputation. It is settled law that a deputationist can claim neither a right to the post nor continuance/absorption on permanent basis to the post against which he is working on deputation. The policy decision dated 31.01.2022, to repatriate all those employees working on deputation agaisnt the post of APC for 3 yers or more to their orginal post/parent department is neither unreasonable nor arbitrary."*

अतः राजस्थान सेवा नियमों के नियम-144'क' के संबंध में जारी परिपत्र क्रमांक पं.1 (3) वित्त/नियम/2005 पार्ट 1 दिनांक 17.05.2021 के बिन्दु संख्या-2 एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के डीबी स्पेशल अपील रिट संख्या 770/2022 में निर्णय दिनांक 06.09.2022 में पारित निर्णय के क्रम में अपीलार्थी की

हस्तगत अपील का कोई आधार शेष नहीं रह गया है। इसलिए आलोच्य आदेश दिनांक 11.05.2022 (अनुलग्नक-1) में हस्तक्षेप करने की कोई गुंजाईश नहीं है।

उक्त विवेचनानुसार अपील में अधिकरण द्वारा जारी अन्तरिम स्थगन आदेश दिनांक 21.07.2022 को समाप्त (Vacate) किया जाता है तथा हस्तगत अपील के बलहीन एवं सारहीन होने से खारिज योग्य होने के कारण अपील अपीलार्थी एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

आदेश की मूल प्रति अपील संख्या 1987/2022 में तथा सत्य प्रतिलिपि शीर्षक टेबिल में अंकित अन्य अपील की पत्रावली में संलग्न की जावें।

आदेश आज दिनांक ..... को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित किया गया।

(एम. एस. काला)  
सदस्य

(मातादीन शर्मा)  
सदस्य